

बत कर पुलिस की अभिरक्षा में दिया गया है। खान अधिकारी एनवीर कुमार सिंह ने बताया कि गणियों के तहत जांच के दौरान निम्नियां जाए जाने पर ग्राम गोंडा नरसिंह माधव स्टोन क़शर पर 18 लाख रुपये, शंकर नार्वती स्टोन क़शर पर 5 लाख रुपये तथा एसआर ग्रेनाइट पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार संबंधित स्टोन क़शरों पर कुल 28 लाख रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है।